अंगदान एवं ऊतकदान के कानून में बदलाव किया जा रहा है

26 मार्च, 2021 से स्कॉटलैण्ड में एक ऑप्ट आउट सिस्टम होगा।

अंगदान और ऊतकदान एक व्यक्तिगत निर्णय है और यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है। इसलिए कृपया इस पुस्तिका को सावधानीपूर्वक पढ़ें। इसमें निम्न बातें बतायी गई हैं:

- कानून में किस प्रकार से बदलाव किया जा रहा है
- इस कानून से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा
- आपके पास कौन से विकल्प हैं
- अपने अंगदान निर्णय को कैसे अभिलिखित करें
- जब कोई व्यक्ति अंगदाता बनता है, तो क्या होता है

Healthier Scotland
Scottish Government

NHS SCOTLAND

कानून में बदलाव किया जा रहा है... परन्तु अंतिम निर्णय आपके हाथ में है

26 मार्च, 2021 से समस्त स्कॉटलैंड में अंगदान और ऊतकदान पर एक नया कानून लागू किया जाएगा।

कानून में बदलाव करके ‘डीम्ड ऑथोराइजेशन ’(Deemed Authorisation) का एक नया सिस्टम पेश किया जा रहा है। इसे प्राय: 'ऑप्ट आउट' (Opt Out) सिस्टम कहा जाता है। हम यह कदम इसलिए उठा रहे हैं, ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके एवं बेहतर बनाया जा सके। केवल 1% लोगों की ही मृत्यु ऐसी स्थिति में होती है जिसमें अंगदान सम्भव होता है, इसलिए अंगदान का प्रत्येक अवसर बहुत ही मूल्यवान होता है।

इस नए सिस्टम का यह अर्थ है कि यदि आपने अपनी मृत्यु से पहले ऑप्ट आउट नहीं किया है, तो कानून इस बात की अनुमति देता है कि अंग-प्रत्यारोपण के लिए कुछ विशेष अंगों एवं ऊतकों का अंगदान किया जाए। यदि आप एक अंगदाता बनते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, इसके बारे में पृष्ठ 8 पर और अधिक पढ़ सकते हैं।

यह कानून उन लोगों पर नहीं लागू होता है जो किसी विशेष समूह से हैं (पृष्ठ 3 पर देखें) अथवा यदि अंगदान आपके विचारों के विपरीत रहा होता।

यदि आप अंगदान का समर्थन करते हैं, तो आप अभी भी एक अंगदान बनने का अपना निर्णय सक्रिय रूप से अभिलिखित करना चुन सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके परिजनों एवं मित्रों के लिए यह सुनिश्चित करना आसान हो सकता है कि आपके निर्णय का सम्मान किया जाए।

ऑप्ट आउट सिस्टम केवल सामान्य रूप से प्रत्यारोपित किए जाने वाले शरीर के अंगों पर लागू होगा, जैसे कि किडनी, हृदय, फेफड़े, लीवर तथा टेंडन्स।

आपके विचारों के बारे में जानने के लिए आपके परिजनों एवं मित्रों से परामर्श किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि आप ऐसा नहीं चाहते थे तो ऐसा ना किया जाए।

कानून में इसलिए बदलाव किया जा रहा है ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके एवं बेहतर बनाया जा सके।

कानून किया जाने वाला यह बदलाव किसे प्रभावित करेगा?

यह नया कानून स्कॉटलैण्ड में रहने वाले अधिकांश वयस्कों पर लागू होगा।

यह कानून निम्नलिखित समूहों पर नहीं लागू होगा:

- बच्चे (16 वर्ष से कम)।
- ऐसे वयस्क जिनके पास इस नए कानून को समझने की क्षमता नहीं है।
- ऐसे वयस्क जो अपनी मृत्यु से पहले 12 महीने से कम अवधि से स्कॉटलैंड में रह रहे थे।

यदि इनमें से किसी समूह के किसी व्यक्ति की किसी ऐसी स्थिति में मृत्यु होती है जिसमें वे अंगदान कर सकते थे, तथा उन्होंने अंगदान करने का अपना निर्णय पहले ही अभिलिखित नहीं किया है, तो ऐसे में उनके निकटतम परिजनों से पूछा जाएगा कि क्या मृतक अपना अंगदान अधिकृत करना चाहता था।

मुझे क्या करना चाहिये?

अंगदान एक व्यक्तिगत निर्णय है, तथा यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप अंगदान करना चाहते हैं या नहीं।

आपकी पंसद

आप अंगदान से ऑप्ट आउट करने का अपना निर्णय NHS Organ Donor Register (एनएचएस अंगदाता पंजिका) में अभिलिखित कर सकते हैं (देखें पृष्ठ 7)

- इसका अर्थ है कि आप अंगदान और ऊतकदान करने से खारिज (ऑप्ट आउट) कर रहे हैं।

यदि आप एक अंगदाता बनना चाहते हैं, तो आप अपना निर्णय NHS Organ Donor Register में अभिलिखित कर सकते हैं (देखें पृष्ठ 7)

- यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके परिजनों एवं मित्रों के लिए यह सुनिश्चित करना आसान हो सकता है कि आपके अंगदान निर्णय का सम्मान किया जाए।
- यदि आप कुछ विशेष प्रकार के अंग एवं ऊतकों का अंगदान करना चाहेंगे, परन्तु अन्य प्रकार के अंगों एवं ऊतकों का नहीं, तो आप NHS Organ Donor Register में अपना निर्णय अभिलिखित करते समय अपनी पसंद सुस्पष्ट रूप से बता सकते हैं।
- एक अंगदाता बनने का अपना निर्णय अभिलिखित करने का यह भी अर्थ है कि आप कुछ विशेष चिकित्सीय जांचों एवं क्रियाविधियों से सहमत हैं जो कि अंगदान प्रक्रिया के अंग के रूप में आपकी मृत्यु से पहले निष्पादित की जा सकती हैं। इन सब से पहले स्पेशलिस्ट नर्स आपके परिजनों से बात करेंगी। इन चिकित्सीय जांचों तथा क्रियाविधियों में क्या चीजें शामिल हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 9 पर जाएं।

आप कुछ न करना चुन सकते हैं

- यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो नए कानून के अन्तर्गत यह माना जाएगा कि आप अंग-प्रत्यारोपण के लिए कुछ अंग एवं ऊतक दान करने के लिए सहमत हैं।
- आपके नवीनतम विचारों के बारे में जानने के लिए आपके परिजनों एवं मित्रों से पूछा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि आप ऐसा नहीं चाहते थे तो अंगदान ना किया जाए।
- यह नया कानून कुछ विशेष समूह के लोगों पर नहीं लागू होगा (जैसे कि बच्चे) – पृष्ठ 3 देखें।
- यदि आप कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आप कुछ विशेष चिकित्सीय जांचों एवं क्रियाविधियों से सहमत हैं जो कि अंगदान प्रक्रिया के अंग के रूप में आपकी मृत्यु से पहले निष्पादित की जा सकती हैं। इन सब से पहले स्पेशलिस्ट नर्स आपके परिजनों से बात करेंगी। इन चिकित्सीय जांचों तथा क्रियाविधियों में क्या चीजें शामिल हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 9 पर जाएं।

आप **26 मार्च 2021** को कानून में बदलाव किए जाने से पहले या उसके बाद अपना अंगदान निर्णय अभिलिखित कर सकते हैं।

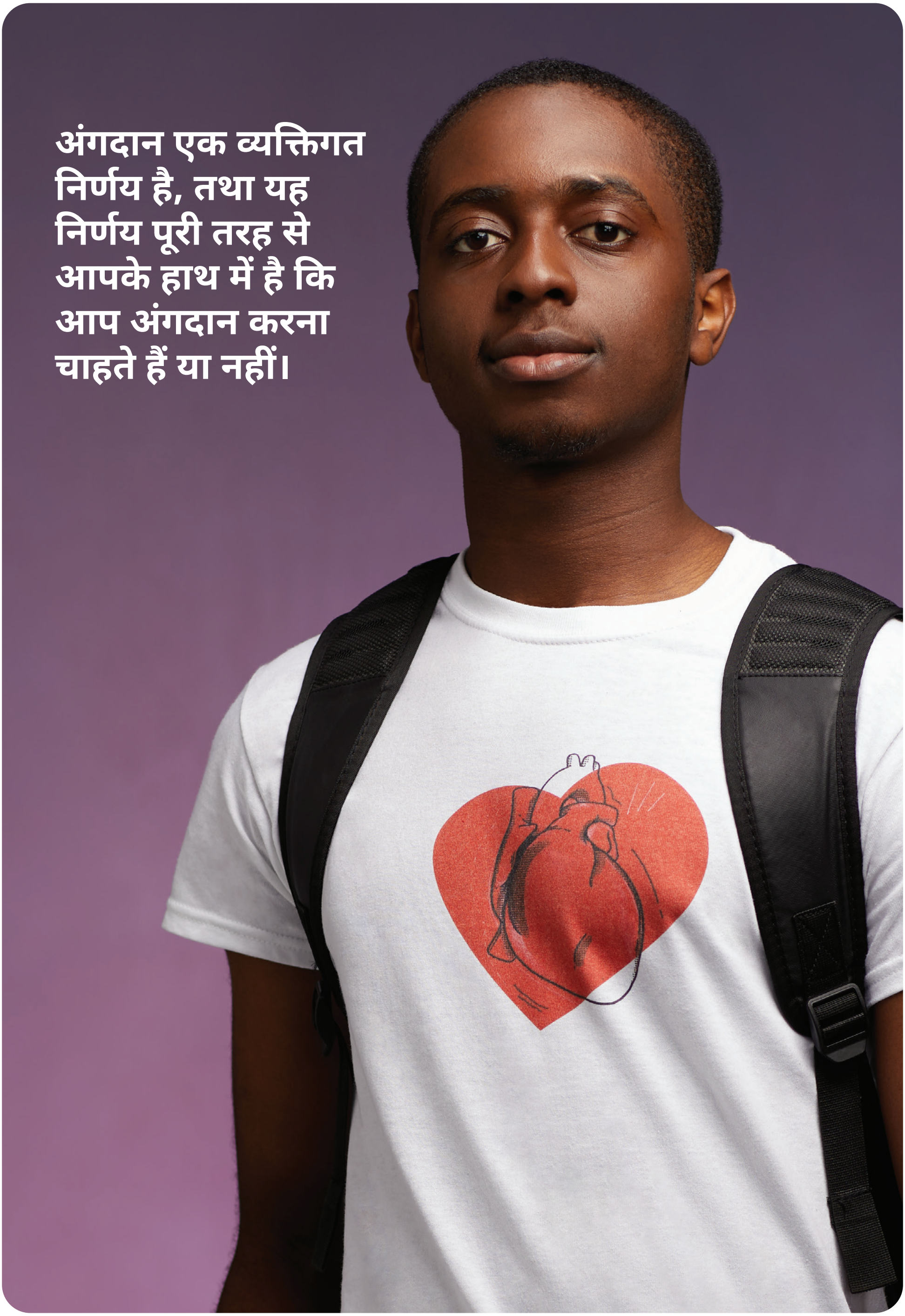

अंगदान एक व्यक्तिगत निर्णय है, तथा यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप अंगदान करना चाहते हैं या नहीं।

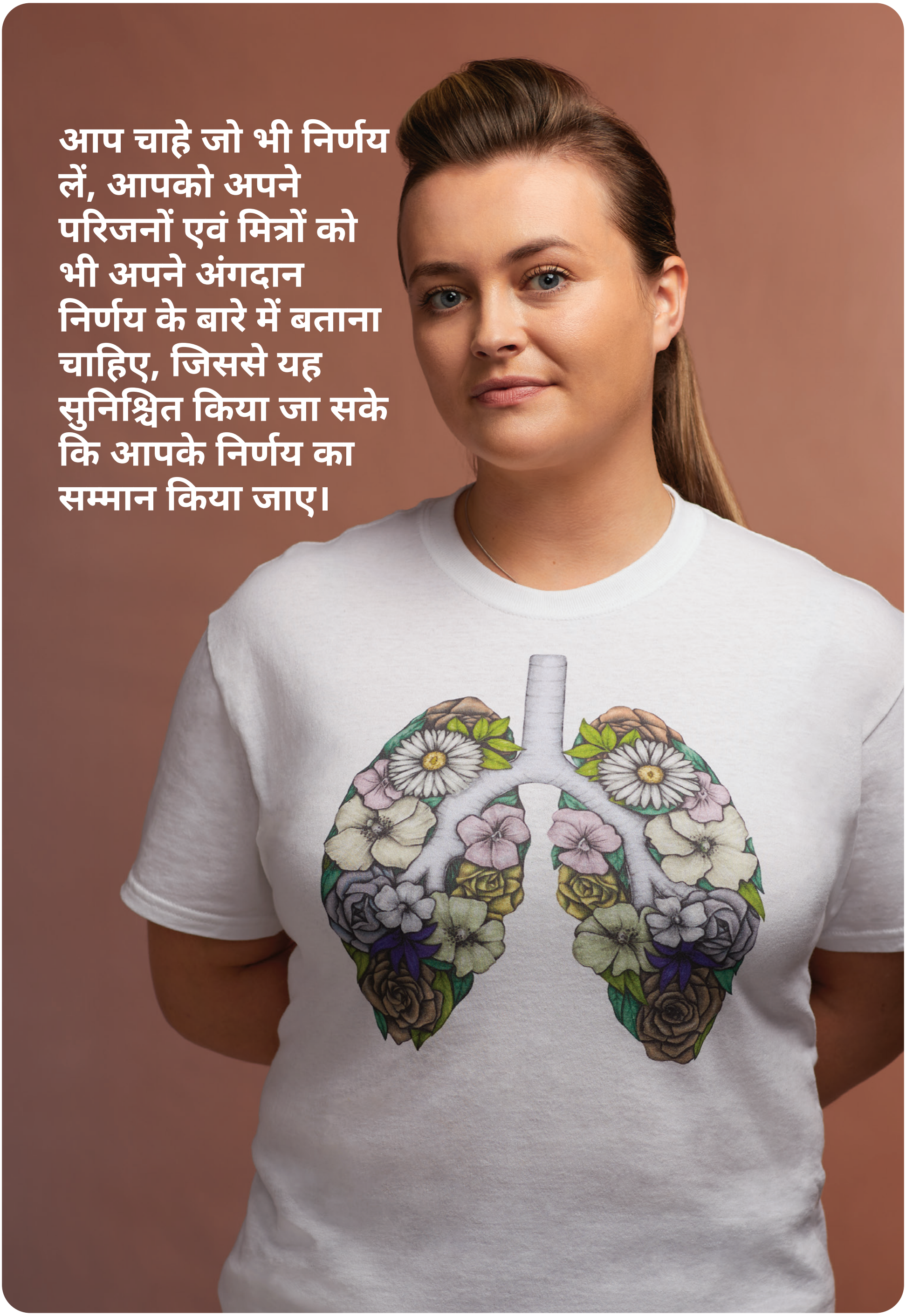

आप चाहे जो भी निर्णय लें, आपको अपने परिजनों एवं मित्रों को भी अपने अंगदान निर्णय के बारे में बताना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके निर्णय का सम्मान किया जाए।

अंगदान का अपना निर्णय (एनएचएस अंगदाता पंजिका) NHS Organ Donor Register पर अभिलिखित करना

एनएचएस अंगदाता पंजिका (NHS Organ Donor Register) पर अपना निर्णय अभिलिखित करना बहुत ही सरल है, तथा इसमें कुछ ही मिनट लगेंगे। साथ ही आप अपने पिछले निर्णय को बदल कते हैं, उसकी पुष्टि कर सकते हैं या अपना विवरण अद्यतित कर सकते हैं।

ऑनलाइन जाएं www.organdonationscotland.org

यदि आप अपने निर्णय को पंजीकृत करने के लिए फोन करने को वरीयता देते हैं अथवा कानून में किए जाने वाले बदलाव के बारे में आपके पास कोई प्रश्न हैं, तो 0300 303 2094 पर फोन करें।
कॉल के लिए स्थानीय कॉल दरों पर शुल्क लिया जाएगा, जो कि आपकी नेटवर्क प्रदाता कम्पनी पर निर्भर करता है।

टेक्स्ट रिले: 18001 0300 1232323

मैं NHS Organ Donor Register पर अपना निर्णय अभिलिखित नहीं करना चाहता। मुझे क्या करना चाहिए?

अपना निर्णय अभिलिखित करने का सबसे स्पष्ट तरीका NHS Organ Donor Register है। हालाँकि, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो लिखित में घोषणा करके अपने परिजनों और मित्रों को बता सकते हैं, ताकि उन्हें आपके निर्णय के बारे में पता रहे। कृपया वसीयत में अपने निर्णय को अभिलिखित करने पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें। मृत्यु के बाद जितने समय के अंदर अंगदान किया जा सकता है, उतने समय के अंदर वसीयत पढ़ा जाना आमतौर पर सम्भव नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु के बाद बहुत ही कम समय के अन्दर अंगदान करना होता है।

जब तक आप अपना निर्णय अभिलिखित नहीं करेंगे, तबतक आपका नाम NHS Organ Donor Register में नहीं शामिल होगा।

यदि मैं एक सम्भावित अंगदाता बन जाता हूँ तो क्या होगा?

आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए चिकित्सक एवं नर्स सभी सम्भव प्रयास करेंगे

- चिकित्सक एवं नर्स मरीज की देखभाल करते हैं, और किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए सभी सम्भव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- जब वे आपके परिजनों के साथ चर्चा कर लेंगे, और आपके परिजन सहमत होंगे कि अब और कुछ नहीं किया जा सकता, केवल तभी अंगदान की सम्भावना के बारे में एक संवेदनशील चर्चा आरम्भ की जाएगी।

एनएचएस अंगदाता पंजिका (NHS Organ Donor Register) चेक किया जाएगा

- आपकी देखभाल में कार्यरत स्पेशलिस्ट नर्स NHS Organ Donor Register (एनएचएस अंगदाता पंजिका) देखेंगी कि क्या आपने अपना अंगदान निर्णय अभिलिखित किया है।
- इसके बाद वे यह सूचना आपके परिजनों एवं करीबी मित्रों के साथ साझा करेंगे, ताकि वे जान सकें कि आप क्या चाहते थे, तथा पता किया जा सके कि क्या ये आपके नवीनतम विचार थे।

अंगदान से पहले कौन सी चिकित्सीय जांच करने की जरूरत होती है?

- अंगदान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मृत्यु के कुछ ही समय पश्चात इन्टेन्सिव केयर यूनिट में कुछ रूटीन चिकित्सीय जांच एवं क्रियाविधियां की जा सकती हैं। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है, जब इससे चिकित्सकों को यह जांच करने में सहायता मिलेगी कि क्या यह अंग-प्रत्यारोपण सम्भावित रूप से सुरक्षित एवं सफल रहेगा, तथा अंग-प्रत्यारोपण प्रतीक्षा सूची के किसी व्यक्ति के लिए एक सुसंगत मैच है।

- ये चिकित्सीय जांचें एवं क्रियाविधियां अस्पताल में किसी दूसरे उपचार जितनी सावधानी से की जाती हैं, इसलिए ये केवल तभी की जाएंगी जब इनसे आपको कोई क्षति या असहजता होने की सम्भावना नहीं होगी। इनमें से कुछ चिकित्सीय जांचों तथा क्रियाविधियों को निष्पादित किए बिना अंगदान की कार्रवाई आगे बढ़ाना सम्भव नहीं होगा।

- इसमें ये चीजें शामिल हैं:
  - जांच के लिए फ्ल्यूड्स के नमूने लेना, जैसे कि रक्त या मूत्र
  - एक्स-रे अथवा अल्ट्रासाउंड, जो बिस्तर पर लिए जाते हैं
  - आपके हृदय एवं श्वसन की मॉनिटरिंग
  - ड्रिप के माध्यम से दवाएं या अन्य फ्ल्यूड्स देना (उदाहरण के लिए रक्त) दिया जाना।

- यदि आपने अंगदान के लिए ऑप्ट आउट नहीं किया होगा तो ऐसा माना जाएगा कि आप इन रूटीन चिकित्सीय जांचों एवं क्रियाविधियों को निष्पादित करने के लिए सहमत हैं। वैसे, स्पेशलिस्ट नर्स आपके परिजनों एवं मित्रों से बात करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि यदि आप ऐसा नहीं चाहते थे तो ये जांच नहीं की जाएंगी।

- कुछ बहुत ही विरले अवसरों पर आगे और अधिक इनवैजिव चिकित्सीय जांचों एवं क्रियाविधियों की जरूरत हो सकती है, परन्तु ऐसा केवल तभी किया जाएगा जब उपरोक्त बताई गई रूटीन जांचों से एक सुरक्षित एवं सफल अंग-प्रत्यारोपण के लिए पर्याप्त सूचना ना मिल पाई हो। अन्य जांचों एवं क्रियाविधियों में ये चीजें शामिल हो सकती हैं - एक छोटी स्किन बायोप्सी, बिस्तर से दूर किए जाने वाले स्कैन, इसमें आपके फेफड़ों एवं एयरवेज की आंतरिक रूप से जांच करने के लिए एक डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा, अथवा शरीर के अंदर से एक छोटा नमूना लेने के लिए एक रुई के फाहे का प्रयोग किया जाएगा। **वैसे, ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप इन क्रियाविधियों के लिए सहमत थे, इसका अर्थ है कि इन्हें केवल आपके परिवार की सहमति से ही किया जाएगा।**

अंगदान एवं ऊतकदान के ऑप्टआउट सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया www.organdonationscotland.org पर जाएं।

क्या अंगदान का अन्तिम निर्णय लेने से पहले मेरे धर्म, आस्था, या विश्वास पर विचार किया जाएगा?

हां, आप NHS Organ Donor Register (एनएचएस अंगदाता पंजिका) पर अभिलिखित कर सकते हैं कि क्या आपकी आस्था या विश्वास महत्वपूर्ण हैं, तथा आपके परिवार के साथ अंगदान चर्चा के अंग के रूप में इस पर विचार किया जाएगा।

उनसे आपके विचारों के बारे में पूछा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि अंगदान नहीं करना चाहते थे तो आपका अंगदान ना किया जाए, तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि आपका अंगदान आपकी आस्था या विश्वास के अनुरूप ही किया जाए।

आस्था एवं विश्वास तथा अंगदान एवं ऊतकदान के बारे में और अधिक सूचना यहां देखी जा सकती है: www.organdonationscotland.org/faith-and-beliefs

यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी पृष्ठभूमि के लोग अंगों एवं ऊतकों का दान करें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति समान नृजातीय समूह के ही अंगदाता से प्रत्यारोपण प्राप्त करता है तो सफलता की काफी अधिक सम्भावना होती है। उदाहरण के लिए, श्वेत व्यक्तियों की तुलना में अश्वेत एवं एशियाई लोगों को किडनी प्रत्यारोपण की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए अश्वेत एवं एशियाई अंगदाताओं की अधिक जरूरत होती है।

आप NHS Organ Donor Register पर अभिलिखित कर सकते हैं कि आपकी आस्था या विश्वास महत्वपूर्ण हैं या नहीं

कानून बदल रहा है... लेकिन अंगदान करने या ना करने का अंतिम निर्णय आपके हाथ में है

26 मार्च, 2021 से अंगदान एवं ऊतकदान के कानून में बदलाव किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि आपकी मृत्यु होने पर ऐसा माना जाएगा कि आप अंगदान के लिए सहमत थे, जबतक कि आपने ऑप्ट आउट ना चुना हो। अंगदान एक व्यक्तिगत निर्णय है, तथा अन्तिम निर्णय आपके पास हाथ में है।

अंगदान एवं ऊतकदान तथा कानून में होने वाले बदलाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए इसे देखें:
www.organdonationscotland.org

अंगदान का अपना निर्णय NHS Organ Donor Register (एनएचएस अंगदाता पंजिका) पर अभिलिखित करें

ऑनलाइन: **www.organdonationscotland.org/your-decision/how-register**

फोन: यदि आप अपना निर्णय पंजीकृत करने के लिए फोन करने को वरीयता देते हैं अथवा यदि कानून में बदलाव के बारे में आपके पास कोई प्रश्न हैं, तो कृपया किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता से बात करने के लिए हेल्पलाइन को **0300 303 2094** पर फोन करें।

कॉल के लिए स्थानीय कॉल दरों पर शुल्क लिया जाएगा, जो कि आपकी नेटवर्क प्रदाता कम्पनी पर निर्भर करता है।

टेक्स्ट रिले: **18001 0300 1232323**

टेक्स्ट चैट: **07860 034343**

यह पुस्तिका अन्य फॉरमैट एवं विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है।

नीचे दिया गया QR कोड स्कैन करें या यहां जाएं:
www.organdonationscotland.org/resources

Healthier Scotland
Scottish Government

NHS
SCOTLAND